लिये एक समिति गठित की गई हैं। उक्त समिति द्वारा पात्रता सूची तैयार किये जाने के बाद ही वास्तविक आवंटन किए जाएंगे।

Meeting of Indian Rice Development Council

2558. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Indian Rice Development Council was held recently at - Hyderabad;

(b) if so, whether the Government of Andhra Pradesh had submitted a representation that small rice farmers do not benefit from the minimum support price for rice;

(c) the manner in which Government propose to assist small and marginal rice farmers who have very little marketable surplus;

(d) whether any scheme of financial assistance is being worked out for them; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTUkE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The State Government of Andhra Pradesh had not submitted any representation to the Ministry of Agriculture, Government of India in this regard.

(c) The resource poor small and marginal farmers of Andhra Pradesh are provided assistance through outgoing Centrally Sponsored Integrated Cereals Development Programme in ricebased cropping systems areas (ICDP-Rice) and the Central Sector Rice Minikit Programme. Under the former, incentives are provided to the farmers on certified seeds, farm implements and sprinkler irrigation sets. Besides, field demonstrations and farmers trainings are also organised. Paddy seed of new high-yielding varieties are distributed under the latter scheme.

(d) and (e) There is no such proposal so far.

फलों और सब्जियों की ढुलाई में कठिनाइयां

2559. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि देश में फलों और सब्जियों का वार्षिक उत्पादन लगभग 80 हजार मीट्रिक टन हो गया हैं और इन्हें मंडियों तक पहुंचाने में उत्पादकों और कृषकों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि फल और सब्जियां शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ होने के कारण इन्हें समय रहते मंडियों में पहुंचाना आवश्यक होता हैं;

(ग) क्या सरकार फल और सब्जियों की ढुलाई को एक आवश्यक सेवा घोषित करने पर विचार करेगी;और

(घ) यदि हां,तो कब तक और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) देश में फलों और सब्जियों का कुल उत्पादन एक लाख से अधिक हो गया हैं। तथापि उत्पादन के व्यवस्ततम मौसम को छोड़कर उत्पादन को मंडी तक लाने में कोई खास समस्या नहीं हैं।

(ख) जी,हां।

(ग) जी,नहीं।

(घ) परिवहन संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक फसल कटाई के पश्चात देख रेख तथा विपणन संबंधी अवस्थापना का सृजन करके किया जा सकता हैं ताकि किसी खास समय में मंड्री में फलों तथा सब्जियों की भरमार को रोका जा सके तथा परिवहन प्रणाली पर पड़ने वाले अत्यधिक भार से बचा जा सके। इसके लिए,भारत सरकार ने,राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया हैं। जिसके तहत कटाई उपरान्त की देख-रेख जैसे पूर्व प्रशीतन एकक,शीत भण्डागार आदि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उदार तरीके से सहायता मुहैया कराई जाती हैं ताकि मंडी में की जाने वाली आपूर्ति को विनियंत्रित किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को उत्पादन उपलब्ध हो सके।

दूध की आपूर्ति

2560. **श्री रामजीलाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में दूध की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को दूध की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं;